# राष्ट्रीय महिला कोष

## नई दिल्ली

**राष्ट्रीय महिला कोष की 18 वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 18 मार्च 2013 को रशियन कलचर सेन्टर, 24 फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली पर होना प्रस्तावित है।**

**विषय सूची**


| कार्यसूची संख्या | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | 20.3.2012 को हुई कोष के 18 वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत की पुष्टि | 1—6 |
| 2. | योग्य मुद्दो पर कृत कार्यवाई | 7 |
| 3. | राष्ट्रीय महिला कोष की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखा का अनुमोदन<br><br>1. वर्ष एक नजर में<br>2. प्रबन्धन<br>3. राष्ट्रीय महिला कोष की ऋण योजनाएं<br>4. उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतें<br>5. प्रचालन<br>6. योजना वार उपलब्धियों<br>7. क्षेत्रीय वितरण<br>8. अन्य मुख्य गतिविधियाँ<br>9. कुछ सफल कहानियाँ<br>10. साझेदारी गैर सरकारी संगठनों की सूची 2010—11<br><br>11. अनुबंध<br><br>प्रशिक्षण कार्यक्रम —अनुबंध—1<br>फ्रेंचाइजों की सूची—अनुबंध—1<br>संसाधन केन्द्रों की सूची— अनुबंध—111<br>12 वित्तीय गतिविधियाँ | 8<br>9—11<br>12—13<br>14<br>15<br>16—18<br>19<br>20—21<br>22—23<br>24<br>25<br>26<br>27—28<br>29—30 |
| 4. | वर्ष 2011—12 की लेखा रिपोर्ट एवं वार्षिक खातों का अंगीकरण | 31—47 |

**एजेंडा आइटम नं0 1**

## राष्ट्रीय महिला कोष
### महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
### 20 मार्च 2012 को हुई कोष के 18 वीं वार्षिक आम सभा के कार्यवृत की पुष्टि

1. **स्थान : रशियन कलचर सेन्टर, 24 फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली**
2. **समय : 3.30 अपराह्न**
3. **उपस्थिति : संलग्न सूची के अनुसार**

4. श्री.एस.आर. निमेष, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय महिला कोष ने श्रीमती कृष्णा तीरथ, माननीय राज्यमंत्री महिला (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास एवं चेयरपर्सन राष्ट्रीय महिला कोष, सचिव महिला एवं बाल विकास, शासकीय बोर्ड के सारे सदस्य तथा राष्ट्रीय महिला कोष के अन्य महानुभावों का स्वागत किया। उसके बाद क्रमानुसार कार्यसूची पर कार्रवाई की गई।
5. एजेन्डा आइटम

**(1) 18–3–2011 को हुई राष्ट्रीय महिला कोष की 17 वीं वार्षिक आम सभा के कार्यवृत की पुष्टि।**
**कार्यवृत स्वीकृत हुई**

**(2) एजेन्डा आइटम संख्या 2 : गत वार्षिक आम सभा में हुई बातचीत के मुख्य मुद्दों पर कार्यवाही हेतु बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही ।**

सभी सदस्यों ने इसे नोट किया जिसमें वित्तीय वर्ष 2009–2010 के ₹ 955 लाख के अधिशेष की सारी राशि को 'अधिशेष निधि ' में अंतरण करना था।

**(3) एजेन्डा आइटम संख्या 3 : वर्ष 2010–11 के लिए राष्ट्रीय महिला कोष के वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन :–**

कार्यकारी निदेशक ने सदस्यों के सामने वर्ष 2010–2011 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप तथा रा0म0के0 की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वर्ष 2010–2011 के दौरान 13362 महिला लाभार्थियों के लिए ऋण के रूप में ₹ 1278 लाख एवं ₹ 1249 लाख की राशि स्वीकृत एवं संवितरित की गई। वर्ष के अंत में स्वीकृत राशि एवं संवितरित राशि क्रमशः ₹ 30752 लाख और ₹ 25182 लाख थी जिससे 6,87,512 महिला लाभार्थियों को लाभ हुआ। राष्ट्रीय महिला कोष की सकल आय वर्ष 2010–11 के दौरान गत वर्ष के ₹ 1171.91 लाख की तुलना में ₹ 1318.59 लाख थी।

**सदस्यों ने वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकार किया।**

(4) **एजेन्डा आइटम संख्या 4 : वर्ष 2010–11 के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक खातों का अनुमोदन :–**

कार्यकारी निदेशक ने सदस्यों के सामने वर्ष 2010–2011 के वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक खातों को प्रस्तुत किया। सदस्यों ने इन्हें स्वीकार किया।

**6. सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव :**

राष्ट्रीय महिला कोष के साथ अपने अच्छे अनुभवों की चर्चा करते हुए सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए। उनके द्वारा रा0म0के0 की सूक्ष्म–ऋण सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए, जिनका उल्लेख अनुबंध में है।

**7. महिला एवं बाल विकास के माननीय सचिव, श्रीमती नीला गंगाधरन द्वारा दिया गया सम्बोधन :–**

अपने उद्‌भाषण में श्रीमती नीला गंगाधरन सचिव ने देश भर की गरीब महिलाओं तक पहुँचने में राष्ट्रीय महिला कोष के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने रा0म0के0 से ऋण लेने की विधि की सराहना की जिसके द्वारा कोष महिलाओं को सशक्त बनाता है। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं को न केवल पारंपरिक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए बल्कि अपनी कुशलता को विविध रूपों में प्रकट करने के लिए नवप्रवर्त्तनकारी प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए।

(2) फिर उन्होंने कहा कि एन0जी0ओ0 लोगो से सम्पर्क कर विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाकर उन्हें अपने विकासशील कार्यसूची में एकीकृत कर सकते है। एन0जी0ओ0 को महिलाओं को नवप्रवर्त्तनकारी तकनीकों जैसे सोलर लालटेन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला लाभार्थियों द्वारा अपनाई गई गतिविधियों पर आधारित औसत ऋण राशि ₹ 9000/– को बढाये जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह समस्याओं का गरीब महिलाओं पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आधारभूत आवश्यकताओं को मद्‌देनजर रखते हुए 'गृह–ऋण' योजनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने की जरूरत है।

(3) उन्होंने सुझाव दिया कि 'क्षमता–निर्माण' को रा0म0के0 का हिस्सा होना चाहिए। तथा महसूस किया कि रा0म0के0 को 'ग्राम विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन मंत्रालय' से जुड़ने की संभावना तलाश करनी चाहिए। तथा रा0म0के0 को महिला सशक्तिकरण विकासशील गतिविधियों जैसे संगठनों की सूचना अपने वेबसाईट पर रखनी चाहिए। तथा रा0म0के0 को विभिन्न संगठित निवेशकर्त्ताओं के साथ निरन्तर बातचीत करने के लिए वैबसाइट के माध्यम से विचार –विमर्श करना चाहिए। रा0म0के0 को एन0जी0ओ0 से मिलकर विभिन्न सम्बन्धित सरकारी विभागों एवं महिलाओं से सम्बन्धित संगठनों जैसे सी आई आई, एफ आई सी सी आई (फिकी) इत्यादि महिला विभाग से कुशलता निर्माण तथा वर्तमान तथा पूर्व के महिला उद्यमियों के अन्तर के विषय में फिडबैक प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इसके साथ सही क्षमता निर्माण, तकनीक का प्रयोग तथा कुशलता विकास भी जरूरी है।

(4) अंत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि रा0म0के0 के पुनःनिर्माण को क्रियान्वित किया जाऐगा तथा उन्होंने अपने संबोधन में रा0म0के0 के एन0जी0ओ0 का गरीब महिलाओं के प्रति समर्पण एवं उनके सशक्तिकरण संबंधी प्रयासों के लिए धन्यवाद किया।

**8. धन्यवाद ज्ञापन :–**

सभा समापन करते हुए श्री. निमेष, महाप्रबंधक आर0म0के0 ने अध्यक्षा सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, वित्तीय विश्लेषक, शासी बोर्ड के सदस्यों तथा एन0जी0ओ0 के सदस्यों का उनके मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने रशियन कलचर सेन्टर को भी आम बैठक को करने में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया।

**अनुबंध**

## 20 मार्च 2012 को हुई 18 वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत

### गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझाव :–

सभा में उपस्थित एन0जी0ओ0 पार्टनर ने काफी उत्साहपूर्वक अपने सुझाव दिए। विभिन्न एन0जी0ओ0 द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं :–

**श्री मोहन नायडु, डोव, आन्ध्रप्रदेश :–**

उन्होंने बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की तुलना में रा0म0के0 के ऋण की प्रशंसा की । उन्होंने सूचित किया कि वे स्टेप के अन्दर 1000 परिवारों को सहायता प्रदान कर रहें हैं तथा इसके लिए उन्होंने नाबार्ड से एक अच्छी मूल्यांकन रिपोर्ट हासिल कर ली है। वे प्रायः डेयरी एवं कृषि के लिए ऋण प्रदान कर रहें हैं।

**डा0 पदमावती, हयूमना पीपल टु पीपल इंडिया :–**

उन्होंने कहा कि वे रा0म0के0 के पुराने साझेदार है तथा रा0म0के0 की स्वर्ण ऋण योजना के अन्तर्गत अभी–अभी ऋण प्राप्त किया है।

(1) उन्होंने कहा कि वे विभिन्न कलाओं के साथ गैर पारम्परिक गतिविधयों जैसे लाख के गहने एवं चुड़ियों को प्रोत्साहन दे रहें हैं।

(2) एन0जी0ओ0 महिलाओं को 'हैंड पम्प ' की मरम्मत करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं क्योंकि जब कभी हैड पम्प खराब हो जाऐ तो वे अपने आपको असहाय महसूस करते हैं।

(3) वे सोलर चारजिंग स्टेशनों को भी प्रोत्साहन दे रहें हैं।

**सुश्री निर्मल, सुत्रा, हिमाचल प्रदेश :–**

(1) उन्होंने बताया कि वे रा0म0के0 से प्राप्त की गई राशि का विभिन्न गतिविधियों जैसे दुधारू गाय, बुनाई, टाँके लगाना एवं मोमबत्ती बनाने जैसे कार्यो के लिए पूरी तरह से उपयोग कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए इस तरह की गतिविधियों की ओर ज्यादा जरूरत है।

**सुश्री आरती कुशवाहा प्रतिज्ञा समन्वित, मध्य प्रदेश :–**

(1) उन्होंने बताया की रा0म0के0 से ऋण लेने के बाद विभिन्न गतिविधियों जैसे ऊनी कपड़े, टाँके लगाना, नमूने तैयार करना, प्रतिकृति इत्यादि को प्रोत्साहन दिया है।

(2) उन्होंने सुझाव दिया कि रा0म0के0 को औद्योगिक प्रशिक्षण, सूचना प्रबन्धन प्रणाली एवं आकड़ों पर आधारित प्रणाली के लिए एन0जी0ओ0 को कुछ तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

**श्री. प्रेम नारायण शर्मा, सी ई कोड कोन, राजस्थान :–**

उन्होंने आग्रह किया कि रा0म0के0 को एन0जी0ओ0 साझेदारों के लिए बैकवर्ड तथा फारवर्ड सम्पर्को को विकसित करना चाहिए।

**महिला चेतना मंच के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश :–**

उन्होंने बताया कि वे रा0म0के0 से तीन बार ऋण का लाभ उठा चुके है।

(1) उन्होंने आग्रह किया कि रा0म0के0 को सूचना प्रौधोगिकी सॉफ्टवेयर विकास के लिए अनुदान प्रदान करना चाहिए। तथा रा0म0के0 को नाबार्ड एवं सिडबी जैसी संस्थाओं की तरह एन0जी0ओ0 को कर्मचारियों के लिए तकनीकी सहायता मुहैया करानी चाहिए।

**श्री.वी. बारगुणन, सचिव, सेन्टर फॉर कम्यूनिटि डेवलेपमेंट, तमिलनाडु :–**

(1) उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलायें पूरी तरह से पारम्परिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है।

(2) उनके द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह संगठन सफलतापूर्वक जन वितरण दुकानें (पी डी एस शॉप) चला रहे हैं।

(3) फिर भी कुछ समूहों को खाद्य प्रक्रिया में प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने आग्रह किया की रा0म0के0 को एन0जी0ओ0 को खाद्य प्रक्रिया के बारें में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**वर्धमान नारी सहकारी पत संस्था मर्यादित के प्रतिनिधि, महाराष्ट्र : –**

(1) उन्होंने बताया कि बहुत सारी गरीब महिलाऐं मसाला बनाने के काम में जुड़ी हुई है। उन्हें ऐसी महिला जो प्रति वर्ष ₹ 100 बीमा के लिए अदा कर रही हैं उनका भी बीमा करवा दिया है।

**डा0 पी.वी. नायडु ,अध्यक्ष, प्रियादर्शनी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थान, महाराष्ट्र : –**

(1) उन्होंने बताया कि रा0म0के0 अपना बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। परन्तु स्टॉफ के अभाव के कारण वे अपना नेटवर्क फैलाने में असमर्थ है।

(2) सुझाव दिया कि रा0म0के को एन0जी0ओ0 को विपणन सुविधाऐं प्रदान करनी चाहिए।

**श्री. के0 के0 चतुर्वेदी, सुमित्रा संस्थान, बुन्देलखंड, यू0 पी0 :–**

उन्होंने बुंदेलखंड में रा0म0के0 की सहायता की सराहना की।

(1) उन्होंने सुझाव दिया कि ऋण की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। तथा पहली एवं दूसरी किस्तों के बीच अन्तराल कम किया जाना चाहिए।

**श्री गोपा मुखर्जी, सचिव, इच्छामती रूरल डेवलेपमेंट :–**

उन्होंने रा0म0कोष का साझेदार बनने के अवसर पर खुशी व्यक्त की।

(1) उन्होंने बताया कि वे पूरे संसार में प्रसिद्व विविध प्रकार की गतिविधियों जैसे कि जूट से उत्पादित वस्तुएँ, बॉस की शिल्पकारी, कंठ माला, एप्लिक कार्य इत्यादि में जुटे हुए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रा0म0के0 को एन0जी0ओ0 के उत्पादों को बेचने के लिए कुछ ग्रामीण या शहरी हाट खोलने चाहिए ।

**आईटम नं0 2**

## कार्यसूची संख्या–2

### कृत कार्यवाही रिपोर्ट– राष्ट्रीय महिला कोष की 18 वीं आम बैठक

| मद संख्या | विषय | लिया गया निर्णय | कृत कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 1 | 20मार्च 2012 को हुई रा.म.को. की 18वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत की पुष्टि | कार्यवृत की पुष्टि की गई | किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं |
| 2 | पिछले बैठक में चर्चा किए गए मुख्य मुद्दो पर कृत कार्यवाई | सदस्यों ने कृत कार्यवाही को जिसमें अधिशेष की कुल राशि रू. 955 लाख को वित्तीय वर्ष 2009–10 के अधिशेष निधि के विनियोजन को नोट किया। | –वही– |
| 3 | रा.म.के. की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन | सदन ने वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया | –वही – |
| 4 | 2010–11 की लेखा परीक्षित लेखों तथा वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन | सदन ने आडिट रिपोर्ट और वार्षिक लेखा का अंगीकरण किया। | किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं |

**एजेंडा आईटम नं0 3(1)**

## वर्ष एक नजर में मुख्य गतिविधियाँ

**मुख्य गतिविधियाँ**

**1.** वर्ष 2011–2012 राष्ट्रीय महिला कोष के प्रचालन का उन्नीसवां वर्ष था। इस वर्ष 22 नई गैर सरकारी संगठन साझेदार के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष के साथ शामिल हुए। इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय महिला कोष की कुल सदस्यों की संख्या 1486 तक पहुँच गई है।

**2.** वर्ष 2011–2012 के दौरान 18182 महिला लाभार्थियों के लिए ऋण के रूप में ₹19.85 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए गए। इसमें से ₹16.31 करोड़ रुपए राशि संवितरित की गई। वर्ष के अंत में कुल स्वीकृत राशि एवं संवितरित राशि क्रमशः ₹ 32737.09 लाख और ₹ 26812.78 लाख़ थी जिससे 7,05,694महिला लाभार्थियों को लाभ हुआ।

**3.** राष्ट्रीय महिला कोष की सकल आय, वर्ष 2011–2012 के दौरान ₹ 2252.26 लाख रही। गत वर्ष में ₹ 1047.74 लाख की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल अधिशेष ₹ 1938.43 लाख अधिक था।

**4.** यद्यपि राष्ट्रीय महिला कोष के ऋण की वसूली दर उत्साहवर्धक रही है, तथापि कुछ सहभागी गैर–सरकारी संगठन समय पर किश्तों के भुगतान करने में असफल रहे। राष्ट्रीय महिला कोष ने ऐसे चूक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने एवं सिविल याचिका, आपराधिक शिकायत (नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 आदि के अन्तर्गत) दायर कर एवं उनके लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय महिला कोष ने अतिदेय ऋण में से ₹180.64 लाख की वसूली की है।

5. रा.म.कोष के अधिशासी बोर्ड ने 23–02–2010 की बैठक में उसको मजबूती एवं पुनर्निमाण हेतु सरकार से अधिकृत एकमात्र कार्यालय सोसायटी से ''नान डिपोजिट टेकिंग सिस्टेमैटिकली इम्पोटेन्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी'' बनाने की मंजूरी दी और अनुच्छेद–617 कम्पनी एक्ट के तहत रा.म.कोष को सम्पूर्ण देश में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से सूक्ष्म–ऋण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में शासनदेश की भूमिका निभा सकें एवं महिला स्वयं सहायता समूह संगठनों के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक मात्र जिससे पिछड़े एवं उन्नत लोगो को सुगमता से सेवा प्रदान कर सके के योग्य बनाया जाए।शासी बोर्ड की सहमति के तुरंत बाद पुनर्निमाण की प्रक्रिया शुरू की गई। राष्ट्रीय महिला कोष को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी बनाने का उपर्युक्त प्रस्ताव सरकार के सम्मुख सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

## एजेंडा आईटम न.0 3(11)

## प्रबंधन

**सभापति :–**

माननीया श्रीमती कृष्णा तीरथ, राजमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष की वर्ष 2011–2012 के दौरान अध्यक्षा बनी रही।

**कार्यपालक निदेशक :–**

डा0 श्री विवेक जोशी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011–2012 के भी दौरान राष्ट्रीय महिला कोष का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किये रहे।

**बोर्ड की बैठक :–** राष्ट्रीय महिला कोष की 47वीं बैठक 20/3/2012 को हुई।

**वार्षिक आम बैठक :–**

राष्ट्रीय महिला कोष की 18वीं वार्षिक आम सभा की बैठक 20/3/2012 को नई दिल्ली में बुलाई गई। अधिशासी बोर्ड के सदस्यों सहित एन0 जी0 ओ0 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। वार्षिक आम सभा ने वर्ष 2010–2011 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को अंगीकार किया।

**ऋण समिति की बैठक :–**

75,76वीं ऋण कमेटी की सभा 27/7/2011, 16/1/2012 को हुई जिसमें गैर सरकारी संस्थानों तथा अन्य योग्य संस्थानों के ऋण पास किए गए। तथा दो आन्तरिक ऋण समिति सभाऐं 29.6.2011, 30.9.2011 को आयोजित की गई।

**निगरानी :–**

राष्ट्रीय महिला कोष स्वीकृत राशि की पहली किश्त के संवितरण के साथ जमीनी स्तर पर ऋण का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निगरानी का आयोजन करता है। ये अध्ययन राष्ट्रीय महिला कोष के अधिकारियों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, आदि जैसे अन्य अनुभवी तथा व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, जो लघु ऋण योजनाओं एवं स्व–सहायता समूहों के क्रियाकलापों से भली भाँति परिचित होते हैं। ऋण राशि के इस्तेमाल की जांच के अलावा निगरानीकर्ता योजना के बेहत्तर क्रियान्वयन के लिए कर्जदार गैर सरकारी संगठनों को मार्गदर्शन भी देते हैं।

**प्रशासनिक ढाँचा :–**

राष्ट्रीय महिला कोष शासकीय बोर्ड में कुल 16 सदस्य हैं जो माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में विशेषज्ञ विभिन्न केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों प्रतिष्ठानों एवं गैर सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की माननीया मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस बोर्ड की अध्यक्षा हैं एवं कार्यपालक अधिकारी (रा0 म0 को0) इस बोर्ड के सदस्य सचिव हैं। राष्ट्रीय महिला कोष के सभी प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय इनके आन्तरिक स्रोतों द्वारा किए जाते हैं।

**उद्देश्य :–**

राष्ट्रीय महिला कोष ग्राहक अनुकूल माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को आनुषंगिक के बिना अबाध रूप से जीविका गतिविधियों, गृह निर्माण हेतु माइक्रो वित्त सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय महिला कोष ने सुक्ष्म ऋण की संकल्पना बचत एवं ऋण, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, उनके सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं। राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा जमीनी स्तर पर कार्यरत विभिन्न प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी संगठन, महिला संघ, सहकारी बैंक और सहकारी समितियाँ एवं कम्पनी अधिनियम अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियाँ लाभ हेतु नहीं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा गरीब महिलाओं का निरन्तर आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा रहा है।

**ऋण लेने की विधि :–**

एन0 जी0 ओ0, सहकारी समितियाँ, सरकारी स्वायत संगठनों, गैरमुनाफा वाली अनुच्छेद – 25 कम्पनी, स्टेट वुमैन डेवलेपमेंट कारपोरेशन, पंजीकृत निकाय और महिला संघ जैसी मध्यस्थ संगठनों के जरिए ग्रामीण व शहरी स्वयं सहायता समूहों की निर्धन महिलाओं को ऋण दिया जाता है। इसका कोई आनुषंगिक नहीं है।

## गतिविधियाँ

**(क) साझेदारीः–**

देश में राष्ट्रीय महिला कोष का एन.जी.ओ. नेटवर्क है जो उनके सामाजिक कार्य क्षेत्र में माइक्रो ऋण गतिविधियों में सुचारू समाकलन करने के लिए एन.जी.ओ. में जागरूकता सृजित करने में मदद करता है। राष्ट्रीय महिला कोष ने चालू वर्ष के दौरान मध्यस्थ संस्थाओं के जागरूकता एवं क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए तथा उनके पोषण हेतु कई नए कार्यक्रम शुरू किए। (अनुच्छेद –1)

(ख) सहायता मध्यस्थ संगठनः–

स्वयं सहायता समूह के लिए निर्धन महिलाओं के लिए सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय महिला कोष का माइक्रो वित्त कार्यक्रम अत्यधिक सफल कार्यक्रम है। अतः काफी संख्या में स्वैच्छिक संगठन सरकारी स्वायत्त निकाय, सहकारी समितियाँ/कोऑपरेटिव सोसाइटिस आदि वित्तीय मध्यस्थता के लिए अग्रसर हो रही है।

राष्ट्रीय महिला कोष महिला लाभार्थियों को माइक्रो वित्त देने के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह /वुमैन ग्रुप पार्टनर/एन.जी.ओ. की माइक्रो ऋण तथा आय सृजन गतिविधियों में क्षमता निर्माण का कार्य करता है। इसके साथ उनके जीवन स्तर में उनके सदस्यों तथा निम्न स्तर पर लाभार्थियों को योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता हैं। रा.म.कोष माइक्रो ऋण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में विश्वास करता है। साझेदार संगठन जो राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण लेते हैं, उन्हे महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में दिशा–निर्देश प्रदान करना पड़ता है।

माइक्रो वित्त की भावी उत्पत्ति के लिए विकास अगुवाई के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष ने एक नोडल एजेंसी योजना शुरू की। देश के सीमांत तथा अपेक्षित क्षेत्रों मे सर्वाधिक लागत–प्रभावी तरीके से अपनी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से नए तथा क्षमतावान एन.जी.ओ. के साथ पूरे देश में आज की तिथि तक 22 नोडल एजेंसिया राष्ट्रीय महिला कोष के पास है। समय–समय पर इन नोडल एजेंसियो के कार्य निष्पादन किए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की एक अन्य महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसको ''फ्रेन्चाइज '' के नाम से जाना जाता है। अब तक राष्ट्रीय महिला कोष ने 3 फ्रेन्चाइज की नियुक्ति की है। अनुबंध–2 में विस्तृत जानकारी। राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार छोटे एवं सक्षम एन.जी.ओ. को पर्याप्त मात्रा में वित्त प्रदान करता है जो ठीक समय पर ऋणों का भुगतान करते हैं।

**(ग) संसाधन केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर)**

राष्ट्रीय महिला कोष स्वयं सहायता समूह 14 सदस्यों/ग्रुप लीडरो तथा आई.एम.ओ. के लिए क्षमता निर्माण, व्यावसायिक तथा कौशल विकास, सुदृढ़ीकरण, आधुनिक प्रकिया, तकनीकी स्थानांतरण, माइक्रो उद्यम विकास हेतु समूचे देश में अपनी सेवाएं दे पाने के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर रखने वाले प्रसिद्वि प्राप्त सरकारी संगठनो/सरकारी व्यवसाय/ एन.जी.ओ./अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं को अधिकृत करता है। संसाधन केन्द्रो की सूची अनुबंध III पर उपलब्ध है।

**एजेंडा आईटम न.0 3(111)**

## राष्ट्रीय महिला कोष की ऋण योजना

1. **<u>ऋण प्रोत्साहन योजना</u>** :– राष्ट्रीय महिला कोष नए और छोटे संगठनों जो सक्षम हो, को बचत और ऋण गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख ऋण देता है, बशर्ते उन्हें स्वयं सहायता समूहों, बचत एवं ऋण और वसूली प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम छह माह का अनुभव हो।

2. **<u>मुख्य ऋण योजना</u>** :– वे पात्र संगठन जिनको तीन वर्ष का बचत एवं ऋण गतिविधियों का अनुभव हो, उनको मुख्य ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अधिकतम ₹ 6 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

3. **<u>पुनः वित्त योजना :</u>**– राष्ट्रीय महिला कोष उन महिला सहकारी बैंको को पुनः 100 प्रतिशत तक वित्त उपलब्ध कराया जाता है, जिन्होंने निर्धन महिलाओं को सीधे अथवा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना के मानको के अन्दर रहते हुए पुनः वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

4. **<u>पुनः ऋण :</u>**– संगठन को दिए गए सफलतापूर्वक उपयोगिता पर पुनः ऋण भी दिया जा सकता है। उधार लिए जाने वाले संगठन को दिए गए वर्तमान ऋण का 50 प्रतिशत भी अदा करना होता है।

5. फ्रेंचाइज योजना :– किसी भी राज्य के छोटे एन0 जी0 ओ0 नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला कोष को प्रस्ताव भेजे बिना ही उस राज्य का राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा वित्तपोषित फ्रेंचाइज से सीधा ऋण ले सकते हैं। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत ऋण सीमा ₹ 5 करोड़ है।

6. **<u>स्वर्ण ऋण योजना</u>** :– यह योजना मध्यम और बड़े एन0 जी0 ओ0 को राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा 3 वर्ष के लिए स्वीकृत निधि के पुनः प्रयोग के लिए बनाई गई है। इस योजना की ऋण सीमा ₹ 5 करोड़ है।

7 **<u>आवास ऋण योजना :</u>**– राष्ट्रीय महिला कोष के पार्टनर संगठनों के जरिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को घर बनाने और मरम्मत के लिए कम कीमत वाले घर की संरचना और मरम्मत के लिए प्रति लाभार्थी को अधिकतम ₹ 100,000/– दिए जाते हैं।

**पात्रता के मापदंडः–**

**1.** ऋण के लिए आवेदन करने वाले संगठन का मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए न कि लाभ के लिए।

**2.** आवेदक संस्था रा0म0को0 को आवेदन करने की तारीख को 3 वर्ष से अधिक के लिए पंजीकृत होनी चाहिए।

**3.** संगठन के कार्यालय वाहक, राजनैतिक दल के चयनित प्रतिनिधि न हों।

**4.** संगठन में लेखा जोखा तैयार करने की उचित प्रणाली होनी चाहिए। इस लेखा का प्रतिवर्ष लेखा जोखा लेखा परीक्षित प्रकाशित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितताएँ नहीं होनी चाहिए।

**5.** इस संगठन में ऋण योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक सक्षमता, मूल वित्तीय प्रबंधन क्षमता और संगठनात्मक क्षमताएं होनी चाहिए।

**6.** संगठन को थ्रिफट और क्रेडिट प्रबंधन में 3 वर्ष का या अधिक का अनुभव होना चाहिए। ऋण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिए छः माह।

**7.** आवेदन में पूर्व लिए गए ऋण के प्रयोग के निधि स्रोतों को स्पष्ट किया जाए।

**8.** सदस्यों को पूर्व में दिए गए ऋण से कम से कम 90 प्रतिशत वसूली होनी चाहिए।

**9.** किसी बाहरी एजेंसी से उधार लेने या ऋण लेने का अधिकार प्राप्त संगठन में उचित और निश्चित/उपविधि में प्रबंध संगठन के एसोसिएशन के ज्ञापन में होना चाहिए।

**10.** संगठन के लेखा जोखा और बैलेंस शीट में ऋण देने एवं वसूली करने आदि को स्पष्ट किया जाना चाहिए। लेखा–जोखा में वित्तीय व्यवस्था का भी स्पष्ट होना जरूरी है।

**11.** प्रत्येक लाभार्थी के लिए नए ऋण लेने के साथ–साथ पहले ऋण की सीमा राशि ₹ 35,000/– तथा द्वितीय ऋण के लिए राशि ₹ 50,000/– तक सीमित है।

**एजेंडा आइटम नं0 3 (1v)**

**<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रियायतें :–</u>**

राष्ट्रीय महिला कोष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों के लिए रियायती पैकेज बनाया ताकि ऐसे क्षेत्र की निर्धन महिलाओं के ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वे राष्ट्रीय महिला कोष से आसानी से ऋण ले सके।

देश में माइक्रो क्रेडिट की असमान स्थिति जो प्रायः बैकिंग नेटवर्क के न होने, इन्फ्रॉस्ट्रक्कचर व जागरूता न होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखी जानी है, को हटाने के लिए :–

**<u>ये रियायतें इस प्रकार हैं :–</u>**

**1.** संगठन अपने पंजीकरण के बाद एक वर्ष (अन्य क्षेत्र में 3 वर्ष ) के बाद ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।

**2.** ऋण की मार्जिन राशि 10 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत है।

3. ऋण को वापिस करने की छूट अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 12 माह की गई।

4. सभी योजनाओं में ऋण को वापिस करने की अवधि को 5 वर्ष तक कर दी गई।

**5.** एन0 जी0 ओ0 को दिए गए ऋण का 10 प्रतिशत क्षमता संवर्धन के रूप में दिया जाएगा।

**6.** दिल्ली में दस्तावेजों को ऋण निष्पादन हेतु एन0 जी0 ओ0 के सदस्यों ( 2 सदस्यों को) आने जाने के लिए द्वितीय श्रेणी शयन (स्लीपर) का रेल किराया और जहाँ रेल संपर्क न हो वहाँ सस्ती श्रेणी के हवाई मार्ग से आने जाने का किराया दिया जाएगा।

# प्रचालन

## (अ) स्वीकृतियाँ :–

राष्ट्रीय महिला कोष ने वर्ष 2011–2012 में 31 गैर–सरकारी संगठनों/सामाजिक संस्थाओं को ₹ 1,985 लाख की ऋण स्वीकृति दी जबकि पिछले वर्ष 2010–2011 में यह स्वीकृति₹1,278 लाख की थी।वर्ष के अन्त में संचित स्वीकृत राशि ₹ 32,737.09 लाख की थी। इस वर्ष 22 नए संगठन राष्ट्रीय महिला कोष से जुड़े। इसके द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष को उन क्षेत्रों में पहुँचने में मदद मिली जहाँ इसकी पहुँच नहीं थी और इस प्रकार लघु ऋण की पहुँच को फैलाने में और संगठन शामिल हुए।

## (ब) संवितरण :–

वर्ष 2011–2012 में राष्ट्रीय महिला कोष ने ₹ 1,631 लाख संवितरित किए। गत वर्ष संवितरण ₹ 1,249.15 लाख था। अधिकांश संवितरण छोटे और नए संगठनों के माध्यम से किया गया। वर्ष 2011–2012 के अन्त तक संचित संवितरण ₹26,812.78 लाख हुआ। पिछले दो वर्षों अर्थात् 2010–2011 तथा 2011–2012 के दौरान एन0 जी0 ओ0 की संख्या स्वीकृतियों और संवितरण का योजना–वार तुलनात्मक विवरण तालिका –1 में दिया गया है :–

वर्ष 2010–2011 तथा 2011–2012 के दौरान स्वीकृतियों एवं संवितरण का तुलनात्मक विवरण :–

₹(लाख में)

| क्र. सं. | योजना | स्वीकृत राशि | | | | संवितरित राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010–2011 | | 2011–2012 | | 2010–2011 | | 2011–2012 | |
| | | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | राशि | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | राशि | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | राशि | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | मुख्य ऋण योजना | 27 | 1058 | 26 | 1270 | 52 | 99165 | 47 | 1201 |
| 2 | ऋण प्रोत्साहन | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 7.50 | 2 | 10 |
| 3 | स्वर्ण क्रेडिट कार्ड योजना | 1 | 200 | 2 | 445 | 2 | 250.00 | 2 | 295 |
| 4 | फ्रेन्चाइज योजना | – | – | 1 | 250 | – | – | 1 | 125 |
| | योग | 30 | 1278 | 31 | 1985 | 57 | 1249.15 | 52 | 1631 |

**एजेंडा आइटम नं0 3( v1)**

## योजना–वार उपलब्धियाँ

**मुख्य ऋण योजना –**

राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना के तहत पात्र संगठनों को स्वयं सहायता समूहों/महिला लाभार्थियों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आय अर्जन तथा अन्य गतिविधियों के लिए–ऋणों की सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण राशि ₹ 6 करोड़ है तथा एक राज्य में ₹ 2 करोड़ है। वर्ष 2011–2012 के दौरान, रा0 म0 कोष ने 26 आवेदन जिनका ऋण योग ₹ 1,270 लाख तथा लाभार्थी 11,885 महिलाएं थीं, स्वीकृत किए। वर्ष 2010–2011 में यह आंकड़े ₹ 1,058 लाख रुपए तथा लाभार्थी 9,688 थे। इस वर्ष के दौरान संवितरित राशि ₹ 1201 लाख थी जो पिछले वर्ष 2010–2011 में ₹ 991.65 लाख रुपए थी। मुख्य ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं संवितरण राशि का विवरण नीचे तालिका II में दिया गया है।

**तालिका – 2**

वर्ष 2010–2011 तथा 2011–2012 के दौरान मुख्य ऋण योजना के अन्तर्गत एन0 जी0 ओ0 की संख्या, स्वीकृतियों एवं संवितरण का राज्यानुसार विवरण

**₹(लाख रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | | कर्जदारों की संख्या | | स्वीकृत राशि | | संवितरित राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अण्डमान निकोबार | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1 | – | 850 | – | 65 | – | 122.5 | – |
| 3 | टसम | – | 1 | – | 200 | – | 10 | 45 | – |
| 4 | थ्बहार | 1 | – | 900 | – | 100 | – | 30 | – |
| 5 | गुजरात | – | 1 | – | 168 | – | 50 | – | 50 |
| 6 | हरियाणा | 1 | – | 132 | – | 15 | – | 65 | 57.5 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| 8 | जम्मू एंड कश्मीर | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 |
| 9 | झारखंड | 1 | 1 | 200 | 200 | 20 | 10 | – | 15 |
| 10 | कर्नाटक | 2 | – | 360 | – | 35 | – | 72.5 | 57.5 |
| 11 | केरल | 1 | – | 460 | – | 50 | – | 25 | 25 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 4 | 2 | 1,165 | 337 | 165 | 70 | 92.5 | 118 |
| 13 | महाराष्ट्र | 3 | 4 | 290 | 3,040 | 58 | 410 | – | 265 |
| 14 | नागालैंड | 1 | – | 70 | – | 10 | – | 5 | – |
| 15 | उड़ीसा | – | – | – | – | – | – | 2.9 | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | पंजाब | 1 | – | 200 | – | 50 | – | 25 | 25 |
| 17 | राजस्थान | 1 | 1 | 195 | 670 | 20 | 100 | 10 | 60 |
| 18 | तमिलनाडु | 4 | 7 | 1,454 | 2,961 | 190 | 270 | 277.5 | 225.5 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 1 | 2 | 135 | 360 | 15 | 30 | 7.5 | 15 |
| 20 | उत्तरांचल | 2 | – | 845 | – | 150 | – | 75 | 50 |
| 21 | पं0 बंगाल | 3 | 7 | 2,432 | 3,949 | 115 | 320 | 76.25 | 202.5 |
|  | योग | 27 | 26 | 9,688 | 11,885 | 1058 | 1270 | 991.65 | 1201 |

**<u>ऋण प्रोत्साहन योजना</u>** :–

इस योजना के अन्तर्गत बचत और ऋण प्रबंध में छह माह जितनी कम अवधि का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा ₹ 10 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान कीजाती है। इसका उद्‌देश्य यह है कि बचत और ऋण कार्यक्रमों को असरदार और कुशल तरीके से संचालित करने में छोटी एवं संभावित सक्षम संस्थाएं आत्मविश्वास मजबूत कर सके। चालू वर्ष 2011–2012 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष ने 2 आवेदन जिनका ऋण योग ₹ 20 लाख तथा लाभार्थी 147 महिलाएं थी, स्वीकृत किए। वर्ष 2010–2011 में यह आंकड़े ₹ 20 लाख तथा लाभार्थी 560 थे। पिछले वर्ष ₹ 7.5 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 10 लाख संवितरित किए गये। इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार स्वीकृतियों और संवितरण का विवरण नीचे तालिका 111 में दिया गया है।

**तालिका–3**

वर्ष 2010–2011 तथा 2011–2012 के दौरान ऋण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियों एवं संवितरण के राज्य–वार ब्यौर

**₹ (लाख रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य | एन0 जी0 ओ0 की संख्या |  | कर्जदारों की संख्या |  | स्वीकृत राशि |  | संवितरित राशि |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 2010–2011 | 2011–2011 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | असम | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – |
| 2 | महाराष्ट्र | 1 | – | 160 | – | 10 | – | – | 5 |
| 3 | उड़ीसा | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – |
| 4 | तमिल नाडु | – | 1 | – | 97 | – | 10 | – | – |
| 5 | उत्तर प्रदेश | 1 | 1 | 400 | 50 | 10 | 10 | – | 5 |
| 6 | पं0 बंगाल | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – |
|  | कुल | 2 | 2 | 560 | 147 | 20 | 20 | 7.5 | 10 |

**स्वर्ण ऋण योजना :–**

इस योजना का उद्‌देश्य एक लचीले एवं कम लागत वाले तरीके से आय–सृजन तथा उपभोग की आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय महिला कोष से एन0 जी0 ओ0 को आवश्यकताओं तथा उनसे आगे स्वयं सहायता समूहों (एस0 एच0 जी0) को पर्याप्त एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। एन0 जी ओ0 को राष्ट्रीय महिला कोष /अन्य माइक्रो क्रेडिट संगठनों के पास उपलब्ध रिकार्ड तथा ऋण आवश्यकताओं को देखते हुए ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है। योजना की अधिकतम ऋण सीमा ₹ 5 करोड़ है। चालू वर्ष 2011–2012 के दौरान रा0म0कोष ने 2 आवेदन जिनका ऋण योग ₹ 445 लाख तथा लाभार्थी 3,900 महिलाएं थीं, वर्ष 2010–2011 में यह आंकड़े ₹ 2 करोड़ तथा लाभार्थी 3,114 थे। इस वर्ष के दौरान् संवितरित राशि ₹295 लाख थी जो पिछले वर्ष पिछले वर्ष 2010–2011 में ₹ 250 लाख थीं। योजना के अंतर्गत राज्यानुसार स्वीकृत एवं संवितरण राशि का विवरण नीचे तालिका–4 में दिया गया है :

**तालिका 4**

वर्ष 2010–2011 तथा 2011–2012 के दौरान स्वर्ण ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियों तथा संवितरण के राज्य–वार ब्यौरे

₹ (लाख में)

| क्र. सं. | राज्य | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | | कर्जदारों की संख्या | | स्वीकृत राशि | | संवितरित राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | – | 1 | – | 2,500 | – | 300 | – | 150 |
| 2 | उड़ीसा | – | 1 | – | 1,400 | – | 145 | 50 | 145 |
| 3 | राजस्थान | 1 | – | 3,114 | – | 200 | – | 200 | – |
| | **कुल** | **1** | **2** | **3,114** | **3,900** | **200** | **445** | **250** | **295** |

**फैन्चाइज योजना**

राष्ट्रीय महिला कोष अपनी ऋण गतिविधियों के विस्तार के लिए फैन्चाइज नियुक्त करता है। राज्य के छोटे एन0 जी0 ओ0, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला कोष को अपने प्रस्ताव भेजे बिना उस राज्य हेतु राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा नियुक्त फैंचाइज से सीधे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना की अधिकतम ऋण सीमा ₹ 5 करोड़ हैं। वर्ष 2011–2012 के दौरान रा0म0 कोष ने एक आवेदन जिनका ऋण योग ₹ 250 लाख तथा 2,250 महिलाएं थीं, स्वीकृत किए तथा ₹ 125 लाख संवितरित किए गए। योजना के अधीन राज्यवार स्वीकृति एवं संवितरण राशि तालिका –5 में दिए गए हैं।

**तालिका – 5**

वर्ष 2011–2012 के दौरान फ्रेंचाइज योजना के अंतर्गत स्वीकृतियों तथा संवितरित राशि के राज्य–वार ब्यौरे

**₹ (लाख में)**

| **क्र. सं.** | **राज्य** | **एन0 जी0 ओ0 की संख्या** | | **कर्जदारों की संख्या** | | **स्वीकृत राशि** | | **संवितरित राशि** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2010–2011** | **2011–2012** | **2010–2011** | **2011–2012** | **2010–2011** | **2011–2012** | **2010–2011** | **2011–2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | मध्य प्रदेश | – | 1 | – | 2,250 | – | 250 | – | 125 |
| | **कुल** | **–** | **1** | **–** | **2,250** | **–** | **250** | **–** | **125** |

**क्षेत्रीय वितरण**

राष्ट्रीय महिला कोष की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय/राज्यों के आधार पर ऋणों के प्रवाह में काफी विविधता दिखाई देती है। राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त करने में महाराष्ट्र प्रथम रहा, जिसने ₹ 270 लाख का ऋण प्राप्त किया और उसके बाद मध्य प्रदेश ₹ 243 लाख, तमिलनाडु ₹ 225.5 लाख, पं0 बंगाल ₹ 202.5 लाख तथा आंध्र प्रदेश ₹150 रहे। इन तीन बड़े राज्यों :– महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा तमिलनाडु ने मिलकर राष्ट्रीय महिला कोष से 45 प्रतिशत कर्ज 2011–2012 के अन्तर्गत प्राप्त किया। राज्यवार तुलनात्मक स्थिति स्वीकृत एवं संवितरित राशि को नीचे तालिका 6 में दिया गया है।

वर्ष 2010–2011 तथा 2011–2012 के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित राशियों का राज्य–वार विवरण

**तालिका 6**

**₹ (लाख रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य | एन0 जी0 ओ0 की संख्या | | कर्जदारों की संख्या | | स्वीकृत राशि | | संवितरित राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 | 2010–2011 | 2011–2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अण्डमान निकोबार | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1 | 1 | 850 | 2,500 | 65 | 300 | 122.5 | 50 |
| 3 | असम | – | 1 | – | 200 | – | 10 | 47.5 | – |
| 4 | बिहार | 1 | – | 900 | – | 100 | – | 30 | – |
| 5 | गुजरात | – | 1 | – | 168 | – | 50 | – | 50 |
| 6 | हरियाणा | 1 | – | 132 | – | 15 | – | 65 | 57.5 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| 8 | जम्मू एण्ड कश्मीर | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 |
| 9 | झारखंड | 1 | 1 | 200 | 200 | 20 | 10 | – | 15 |
| 10 | कर्नाटक | 2 | – | 360 | – | 35 | – | 72.5 | 57.5 |
| 11 | केरल | 1 | – | 460 | – | 50 | – | 25 | 25 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 4 | 3 | 1,165 | 2,587 | 165 | 320 | 92.5 | 243 |
| 13 | महाराष्ट्र | 4 | 4 | 450 | 3,040 | 68 | 410 | – | 270 |
| 14 | नागालैंड | 1 | – | 70 | – | 10 | – | 5 | – |
| 15 | उड़ीसा | – | 1 | – | 1,400 | – | 145 | 55.4 | 145 |
| 16 | पंजाब | 1 | – | 200 | – | 50 | – | 25 | 25 |
| 17 | राजस्थान | 2 | 1 | 3,309 | 670 | 220 | 100 | 210 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | तमिलनाडु | 4 | 8 | 1,454 | 3,058 | 190 | 280 | 277.5 | 225.5 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 2 | 3 | 535 | 410 | 25 | 40 | 7.5 | 20 |
| 20 | उत्तरांचल | 2 | — | 845 | — | 150 | — | 75 | 50 |
| 21 | पं 0 बंगाल | 3 | 7 | 2,432 | 3,949 | 115 | 320 | 78.75 | 202.5 |
| | **योग** | **30** | **31** | **13,362** | **18,182** | **1278** | **1985** | **1249.15** | **1631** |

**एजेंडा आईटम न.0 3(v111)**

**मुख्य गतिविधियाँ:–**

1. **वर्ष के दौरान मुख्य गतिविधियाँ:–**

दिनांक 28 अप्रैल,2011 को सार्क प्रतिनिधिमण्डल जिसका नेतृत्त्व निदेशक श्री जुहूरी सार्वजनिक मामलों, सार्क सचिवालय ने बैठक में रा.म.कोष के कार्य–क्षेत्र के विस्तार के बारें में विचार विमर्श किया। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर भविष्य के लिए विचार विमर्श किया गया।
(1) सहयोग से आपसी लाभ और वृद्वि का विकास होता हैं
(2) रा.म.कोष के संस्थाओं के साथ सम्बन्ध को चित्रित करना।
(3) सार्क जेन्डर इनफो बेस के उपयोग हेतु रा.म.कोष.की उन्नत स्तर की शर्तो को कियान्वित करना।
(4) रा.म.कोष की महिला सशक्तिकरण एवं सूक्ष्म ऋण के बारें में सूचनाओं तथा आकड़ो को ऑनलाइन के माध्यम से प्रसारण करवाने की पहल करना।

2. 31 मई 2011 को चंडीगढ़ में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रयोगशाला में नाबार्ड एवं सिडबी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ के गैर सरकारी संगठनों के 50 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

3. माइक्रो ऋण तथा आय अर्जन मसलों पर राष्ट्रीय महिला कोष के एन0जी0ओ0 पार्टनरों के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण निम्नलिखित अवधि के दौरान निपसिड परिसर में किया गया:–

   लखनऊ में 10 से 14 अक्तूबर 2011, गोहाटी में 14 से 18 नवम्बर 2011,नई दिल्ली में 19 से 23 दिसम्बर 2011, इन्दौर में 16 से 20 जनवरी 2012 तथा बंगलौर में 27 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक संचालन किया गया। इन कार्यक्रमों में साझेदार मध्यस्थ माइक्रो संगठन के जमीनी स्तर के लाभार्थियों ने भाग लिया।

4. राष्ट्रीय महिला कोष ने तीन दिवसीय कार्यक्रम 21 से 23 अक्तूबर 211 में, एन.जी.ओ. पार्टनर के साथ 'मेरी दिल्ली उत्सव' में भाग लिया। नई दिल्ली में जागरूकता सृजन अभियान का आयोजन किया गया तथा प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी के माध्यम से गरीब महिलाओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया।

5. राष्ट्रीय महिला कोष ने दिनांक 8 नवम्बर 2011 को मोजाम्बिक की प्रथम महिला (राष्ट्रपति) श्रीमती मारिया डा लुज गवेबुजा के नेतृत्त्व में प्रतिनिधि मण्डल के लिए एक यात्रा का प्रबन्ध किया गया। प्रतिनिधि मण्डल को राष्ट्रीय महिला कोष की ऋण योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म ऋण लाभार्थी द्वारा रसोई एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न कार्यो को देखने के लिए रा.म.कोष के दिल्ली स्थित एन0जी0ओ0 पार्टनर के पास ले जाया गया।

6. दिनांक 14 से 19 नवम्बर 2011 को 'दिल्ली हाट' नामक स्थान पर वात्सल्य मेले का आयोजन

   दिनांक 14–11–2011 से 19–11–2011 तक नई दिल्ली में 'दिल्ली हाट' नामक स्थान पर वात्सल्य मेले का आयोजन किया गया। मेला विभिन्न विषयों पर आयोजित किया, '' कुपोषण मुद्दों पर जागरूकता, लिंग का गिरता अनुपात एवं महिला सशक्तिकरण।'' इस मेले ने राष्ट्रीय महिला कोष साझेदारों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने एवं प्रदर्शन करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया । इस मेले में देहात एवं दूरस्थ राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह (असम,मणीपुर, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि) को राज्य स्तरीय कला की उत्पादित वस्तुओं को प्रदर्शन एवं बेचने के लिए कम में रखा गया जैसे कि घरेलु चीजे, सजावटी, परम्परागत एवं आधुनिक हस्तशिल्प, हथकरघा वस्तुएँ, रेडिमेड कपड़े, खाद्य पदार्थ, बाँस से उत्पादित चीजे आदि।

यह मेला भागीदार गैर–सरकारी संगठनों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जो ग्प्रहकों एवं सहयोगी साझेदार गैर–सरकारी संगठनों को अपनी विपणन कुशलता तथा व्यापारिक ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह मेला विशेषतौर पर स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं के लिए जोकि देश के दूर–दराज स्थानों से आई होती है, उनके लिए बहुत लाभदायक माना जाता है।

**राष्ट्रीय महिला कोष स्वयं सहायता समूह माइक्रो वित्त के लाभार्थी कार्यक्रम से लाभान्वित सफल महिलाओं के कुछ उदाहरणः**

**पं0 बंगाल**

यह एक श्रीमती रोशनआरा हालडर पत्नी श्री अबू सिद्दीक हैल्डर जिला–साऊथ 24 –परगना के गाँव नीज उत्तरपरा, पी.एस–जवॉयनगर, जोकि पश्चिम बंगाल के स्वयं सहायता समूह, ह्यूमन डेवलेपमेंट सेन्टर की एक सदस्या की कहानी है। ह्यूमन डेवलेपमेंट सेन्टर रा.म.कोष का निम्न स्तर का पार्टनर है। श्रीमती हैल्डर बहुत ही गरीब परिवार से सम्बन्ध रखती है। नियमित आय के अभाव में उनका परिवार बहुत परेशान था। परिवार के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया था। परिवार में पति पत्नी एवं दो बच्चे शामिल थे।

2. श्रीमती रोजोनारा हैल्डर को उसके पड़ौसी एन0जी0ओ0 से एच0डी0सी0 के बारे में पता चला। वह एक समूह में शामिल हो गई। एच0डी0सी0 ने राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण के लिए आवेदन किया। सूक्ष्म वित्त सहायता के जरिये श्रीमती हैल्डर को राष्ट्रीय महिला कोष से ₹ 3000 का ऋण स्वीकृत किये गये। उसने अपने घर के बगल में एक छोटी चाय की दुकान खोली। धीरे–धीरे उसने एच0डी0सी0 की नियमित मदद से अपना व्यापार बढ़ाया। थोडे ही समय में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। इससे उसके बच्चों को शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। अब उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे है। उसने चाय की दुकान के अलावा एक माँस की दुकान भी खोल ली है। इससे उसकी आय शून्य से बढ़कर प्रतिमहीने ₹ 8000 हो गई है। अब उसके परिवार में किसी प्रकार की समस्या नहीं और खुशहाल परिवार के रूप में जीवन यापन कर रहा। यह सब रा0म0कोष की सूक्ष्म–वित्त ऋण सहायता से ही संभव हो सका।

**झारखंड**

श्रीमती सुभद्रा महत्तो जोकि ईस्ट सिंघभूम जिले के पोटका ब्लॉक के दामुदी गाँव की महिला की शादी उस समय हुई जब वह बहुत ही छोटी थी। वह केवल कक्षा छठी तक शिक्षा हासिल कर सकी परन्तु बहुत ही महत्त्वकांक्षी थी। वह हमेशा सोचा करती थी कि क्या वह भी कभी अपनी आमदनी कर सकेगी। क्या वह भी कभी स्वावलंबी बन पाऐगी ? परन्तु ऐसे पिछड़े इलाके की शिक्षा के कारण, वह ऐसा कैसे संभव कर पायेगी ?

2. इसके विपरीत श्रीमती सुभद्रा का पति एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम किया करता था। दम्पत्ति के पास आजीविका के लिए पर्याप्त कृषि योग्य जमीन नहीं थी। इसलिए परिवार में एक संकट छाया हुआ था। जिसके कारण रोजमर्रा के खर्चे पर काबू करना मुश्किल हो गया था। अकाल के दौरान यह स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई। अचानक उसके पत्ति के साथ दुर्घटना हो गई और उसकी टांग टूट गई। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मासिक आय प्रतिदिन ₹ 380 से घटकर ₹ 250 हो गई। परिस्थितियाँ उनके लिए बदतर हो गई। रोजी रोटी के भी उनके लिए लाले पड़ गये।

3. जब वह स्वयं सहायता समूह में शामिल हुई तो उसे शीघ्र एक आशा की किरण दिखाई दी और उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब उसे अहसास हो गया कि वह अकेली नही है। उसे लगा कि समूह में और भी महिलाऐं हैं जो उसकी मदद कर सकती है।

4. एन0जी0ओ0 के प्रतिनिधियों ने उसे बताया कि प्रकार राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना के अंतर्गत आपात्कालीन स्थितियों से निपटने जैसे मकान की मरम्मत, आपात चिकित्सा, एवं

तत्परता से व्यापार शुरू करना व उन्नत किस्म की खेती करने के लिए ₹ 10,000 से ₹ 35,000 तक का ऋण ले सकती है।

5. श्रीमती सुभद्रा, झारखंड में स्थिति राष्ट्रीय महिला कोष के एन0जी0 ओ0 पार्टनर कलामन्दिर में पहुंची। जिससे उसे मकान मरम्मत के लिए ₹ 12,000 तथा मुर्गीपालन के लिए ₹10,000 का ऋण स्वीकृत हुआ। उसके लिए 300 चूजों के मुर्गीपालन का कार्य आजीविका का स्रोत साबित हुआ। वह प्रति महीने चिकन बेचकर ₹ 3000 से ₹ 5000 कमाती थी। अब उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। अब वह आत्म–निर्भर बन गई और अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण एवं बच्चों को शिक्षा दिलाने के काबिल बन गई थी। समाज में उसका स्तर बढ़ गया। परिवार एवं समाज दोनों के मामलों में वह दृढ़ता पूर्वक आवाज उठाती है।

6. अब वह राष्ट्रीय महिला कोष की ऐसी प्रतीक बनी जिसने उसके जीवन में बदलाव ला दिया। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि रा0म0कोष के स्वयं सहायता समूह उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर देंगे।

**एजेंडा आईटम न.0 3 (x)**

## साझेदार गैर सरकारी संगठनों की सूची
## एन0जी0ओ0 के नाम जिन्हे 2011–12 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई

| क्रम सं. | एन0जी0ओ0 के नाम |
|---|---|
| | **आंध्र प्रदेश** |
| 1. | राष्ट्रीय सेवा समिति |
| | **असम** |
| 2. | इंटेग्रेटिड मैनेजमेन्ट ऑफ माइक्रो फाइनैंस एण्ड नेट वर्किंग सर्विस |
| | **गुजरात** |
| 3. | सुपथ ग्रामोधोग संस्थान |
| | **झारखंड** |
| 4. | कलामन्दिर |
| | **मध्य प्रदेश** |
| 5. | अपराजिता महिला सुख सहकारिता मर्यादित |
| 6. | एम.पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन |
| 7. | शक्ति महिला संघ बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्यादित |
| | **महाराष्ट्र** |
| 8. | नागेशवर चेरिटैबल ट्रस्ट |
| 9. | प्रियादर्शनी मेडिकल एण्ड एजुकेशनल फाउण्डेशन |
| 10. | सेनापत्ति बापत नागरी सहकारी पासतनसथा मर्यादित |
| 11. | वर्धमान नारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित |
| | **उड़ीसा** |
| 12. | पीपुल्स फोरम |
| | **राजस्थान** |
| 13. | अपनी सहकारी सेवा समिति लिमिटेड |
| | **तमिलनाडु** |
| 14. | सेन्टर फॉर पीस एण्ड रूरल डेवलेपमेन्ट |
| 15. | कसथूरिभा महिला मंडल |
| 16. | सोशल एग्रीकल्चर चिल्ड्रनज एजुकेशन एंड वुमैन डेवलेपमेन्ट ट्रस्ट |
| 17. | सोशल एजुकेशन इकोनोमिकल डेवलेपमेन्ट सोसायटी |
| 18. | सोशल मेडिकल एक्शन रिसर्च ट्रस्ट |
| 19. | सोसायटी फॉर सोशल डेवलेपमेन्ट (नगरकॉयल) |
| 20. | यूनीफीकेशन ऑफ वर्ल्ड रिवर्स |
| 21. | विधियल |
| | **उत्तर प्रदेश** |
| 22. | अवध ग्रामोद्योग मण्डल |
| 23. | भारतीय माइक्रो केडिट |
| 24. | स्वराज्य राम सेवक सेवा समिति |
| | **पं0 बंगाल** |
| 25. | बारासात अन्वेषण हरपड़ा |
| 26. | बारासात सम्पर्क |
| 27. | दक्षिण बुद्वाकली इम्परूमेन्ट सोसायटी |
| 28. | हबड़ा स्पंदन वेल्फेयर सोसायटी |
| 29. | ह्यूमन डेवलेपमेन्ट सेन्टर, वेस्ट बंगाल |
| 30. | इच्छामत्ती रूरल डेवलेपमेन्ट सोसायटी |
| 31. | महानगर स्मृति सेवा केन्द्र |

**परिशिष्ट –I**

अप्रैल 2011 से 31–03–2012 तक राष्ट्रीय महिला कोष में आयोजित कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, भ्रमण यात्रा एवं संगोष्ठीयाँ

देश में राष्ट्रीय महिला कोष का काफी बड़ा एन0 जी0 ओ0 नेटवर्क है जो उनके सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेप की माइक्रो ऋण गतिविधियों में समाकलन करने के लिए एन0 जी0 ओ0 में जागरूकता सृजित करने में मदद करना है। राष्ट्रीय महिला कोष ने चालू वर्ष के दौरान मध्यस्थ संस्थाओं के जागरूकता एवं क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए तथा उनके पोषण हेतु कई नए कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 2011–12 के दौरान ये निम्नलिखित कार्यक्रम विवरणनुसार आयोजित किए :–

1. राष्ट्रीय महिला कोष ने 31 मई 2011को चंडीगढ़ में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रयोगशाला में नाबार्ड एवं सिडबी के वरिष्ठ अधिकारियों, सहित पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ के गैर सरकारी संगठनों के 50 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

2. 10 से 14 अक्तूबर 2011 तक निपसिड (एनआईपीसीसीडी) लखनऊ उत्तर प्रदेश के पार्टनर एन0 जी0 ओ0 के लिए माइक्रो ऋण और आय अर्जन का पाँच दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समीपवर्ती राज्यों से रा0म0कोष एन0 जी0 ओ0 पार्टनर जिसमें निम्न स्तर के लाभार्थियों को शामिल किया गया।

3. राष्ट्रीय महिला कोष ने तीन दिवसीय कार्यक्रम 21 से 23 अक्तूबर 2011में, एन0 जी0 ओ0 पार्टनर के साथ 'मेरी दिल्ली उत्सव' में भाग लिया। नई दिल्ली में 'जागरूकता सृजन अभियान' का आयोजन किया गया तथा प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी के माध्यम से गरीब महिलाओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया।

4. माइक्रो ऋण एवं आय अर्जन मसलों पर निपसिड गोहाटी असम में 14 से 18 नवम्बर, 2011 तक एक पाँच दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र से रा0म0कोष एन0 जी0 ओ0 पार्टनर जिसमें निम्न स्तर के लाभार्थियों को शामिल किया गया।

5. 9 दिसम्बर 2011 को भोपाल में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 35 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

6 माइक्रो ऋण एवं आय अर्जन मसलों पर निपसिड, नई दिल्ली में 19 से 23दिसम्बर 2011तक पाँच दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समीपवर्ती राज्यों से रा0म0कोष0 एन0जी0ओ0 पार्टनर जिसमें निम्न स्तर के लाभार्थियों को शामिल किया गया।

7. 16 से 20 जनवरी, 2012 तक निपसिड में इन्दौर में मध्य प्रदेश के एन0जी0ओ0 पार्टनर के लिए माइक्रो ऋण और आय अर्जन मसलों का पाँच दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

8. 27 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक निपसिड में बंगलौर, कर्नाटक के एन0जी0ओ0 पार्टनर

के लिए माइक्रो ऋण और आय अर्जन मसलों का पांच दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों से रा0म0कोष एन0जी0ओ0 पार्टनर जिसमें निम्न स्तर के लाभार्थियों को शामिल किया गया।

9.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 14–11–2011 से 19/11/2011 तक 'दिल्ली हाट'नामक स्थान पर राष्ट्रीय महिला कोष एवं इसके 40 से अधिक एन0जी0ओ0 पार्टनर के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए आयोजन में हिस्सा लिया। इन एन0जी0ओ0 पार्टनर ने ₹ 18.63 लाख से अधिक समेकित बिक्री को प्रमाणित किया और उन्होंने स्वयं सहायता समूह शिल्पकारों के उत्पादों से सम्बन्धित पूछताछ एवं आपूर्ति के आदेश प्राप्त किये। यह मेला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए अच्छे विपणन संबंधों के साथ–साथ रोजगार के द्वार खोलने में भी सहायक सिद्व हुआ।

*परिशिष्ट –II*

*फ्रैन्चाइज की सूची*

| क्र. सं. | संगठन का नाम | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन) | असम |
| 2 | एम पी स्टेट कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन, दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग हबीबगंज, भोपाल | मध्य प्रदेश |
| 3 | पंजाब स्टेट कोपरेटिव हैंडलूम फेडरेशन लि. एस सी ओ – 2945–46, सेक्टर, 22 –सी, डब्लयूईएवीसीओ, चंडीगढ़ | पंजाब |

*परिशिष्ट–III*

*रिसोर्स केन्द्रों की सूची*

| क्र. सं. | रिसोर्स केन्द्रों का नाम | प्रशिक्षण सुविधाएं |
|---|---|---|
| 1 | इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, पूसा नई दिल्ली | ये संस्था खेती से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण देती है। |
| .2 | सैंट्रल एवियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इन्स्टीट्यूट इजतनगर, यू. पी. | ये संस्था पोल्ट्री से संबंधित प्रशिक्षण देती है। |
| .3 | सैंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ गोट्स मक्दूम, मथुरा–281122, यू0 पी0 | ये संस्था प्रशिक्षण विकास उन्नत तकनीक का हस्तांतरण, माइक्रो इंटरप्राइज विकास का प्रशिक्षण बकरी पालन से |
| .4 | सैंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकलचरल इंजीनियरिंग नबीबाग बैरासिया रोड, भोपाल–462038 मध्य प्रदेश | व्यावसायिक प्रशिक्षण<br>(1) उन्नत औजारों जो कि महिलाओं के लिए खेती में सहायक<br>(2) सोया उत्पाद बनाना<br>(3) एग्रो प्रोसैसिंग गतिविधियाँ आर्य अर्जन के लिए<br>(4) गाँव के घरों के लिए इस्तेमाल उन्नत बिजली उपकरण<br>(5) उन्नत खेती की तकनीके<br>(6) कम्पोजिट प्रशिक्षण |
| .5 | सैंट्रल इन्स्टीट्यूट फार फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट विलिंडन आइसलैंड, कोचिन, केरल | व्यावसायिक प्रशिक्षण मछली पालन |
| .6 | सैंट्रल प्लांटेशन करोपस रिसर्च इन्स्टीट्यूट कासारगोड़, केरल | नारियल चिप बनाने का प्रशिक्षण सनोबॉल टेन्डर नट्स, वर्मी कम्पोजिटिंग, नारियल के बचे बेकार की चीजों से मशरूम की खेती करना। |
| .7 | इंडियन इन्स्टीट्यूट फार पलसिज रिसर्च, यू0 पी0 | दालों और बीजों की प्रोसैसिंग पर प्रशिक्षण |
| .8 | इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ हार्टिकल्चरल् रिसर्च, बंगलौर | मशरूम खेती का प्रशिक्षण, बागवानी उत्पाद प्रक्रिया से उद्यमिता विकास, अच्छी पौध लगाना तथा बायो खाद व बायो कीटनाशक बनाना। |
| .9 | इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ स्पाइसिस रिसर्च, मारिकुन्नू कालीकट, केरल | प्रशिक्षणः<br>1 बकरी पालन एवं प्रबंधन<br>2 बॉयलर काफ मैनेजमैंट |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3 दुग्ध उत्पाद<br>4 पिछवाड़े मुर्गीपालन<br>5 रेबीटरी<br>6 मशरूम उत्पादन<br>7 खेती की नर्सरी<br>8 खाद उत्पादन<br>9 पौधे तैयारी की तकनीकी<br>10 अजेला उत्पादन<br>11 एपीकल्चर<br>12 स्वास्थ्यवर्धक पौधे लगाना<br>13 कपड़ों पर पेंटिंग तथा कार्ड बनाना |
| .10 | इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ वेजीटेबल रिसर्च, पोस्ट बैग नं. 01, पोस्ट ऑफिस जखानी (शहंसापुर) वाराणसी – 221305, यू0 पी0 | सब्जियों को उगाने की उच्च तकनीक का विकास |
| .11 | कृषि विज्ञान केन्द्र तथा डेयरी प्रशिक्षण रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट आई सी ए आर, करनाल–132001 | डेयरी उत्पादन का प्रशिक्षण व प्रक्रिया |
| 12 | नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलाजी एन आई एफ टी कैम्पस हौज खास, न्यू गुलमोहर पार्क न्यू दिल्ली | प्रशिक्षण<br>1 फैशन के वस्त्र बनाना<br>2 कढ़ाई करना<br>3 बुनना<br>4 हस्तशिल्प<br>5 जेवरात डिजाइन<br>6 पैर में पहनने वाली चीजों का डिजाइन |
| 13 | स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवलेपमैंट, जी एस रोड़ खानपरा गोहाटी, असम | प्रशिक्षण :<br>क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास |
| 14 | बारली डेवलेपमैंट इन्स्टीट्यूट फार रूरल वोमेन, 180 भामौरी, नई देवास रोड, इन्दौर–452010 | स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण तथा गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर प्रशिक्षण |

## वित्तीय गतिविधियों का परिणाम

1. वर्ष 2011–12 राष्ट्रीय महिला कोष के प्रचालन का 19 वाँ वर्ष था। लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की कुछ मुख्य वित्तीय गतिविधियां निम्नलिखित है :

2. वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की कुल सकल आय गत वर्ष ₹ 1318.59 लाख की तुलना की तुलना में ₹ 2252.26 लाख रही।

3. गत वर्ष में ₹ 933.67 लाख के व्यय उपरांत आय में वृद्धि हुई है। क्योंकि चालू वर्ष के दौरान 2002–03 से 2009–10 तक ₹ 718.57 लाख ऋण की अर्जित आय को भी जोड़ा गया। इस अवधि से पहले आय को उपार्जन की बजाय प्राप्तियों के आधार पर आँका जाता था। यह कार्य रा0म0कोष के लेखा परीक्षण के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर किया गया है। स्थापना व्यय 2011–12 के दौरान ₹ 131.15 लाख की तुलना में ₹ 176.35 लाख रहा। प्रशासनिक व्यय 2011–12 के दौरान गत वर्ष ₹ 139.70 लाख की तुलना में ₹ 130.99 लाख रहा।

4. राष्ट्रीय महिला कोष को अधिसूचना संख्या डी जी आई टी (ई)/10(23C) (IV) दिनांक 4 जनवरी 2011 अधिसूचना तिथि 9 अप्रैल 2010 तक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आय–कर छूट महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा निर्धारण वर्ष 2006–2007 से आगे आयकर अधिनियम की धारा 10(23C) (IV) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। इसके मद्दे नजर, वर्ष 2011–12 के लिए आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है।

## वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए प्रावधानों का उपयोग

5. कोष की आम सभा ने शासी बोर्ड की सिफारिशों पर 2010–2011 की अधिशेष आय में से निम्नलिखित विनियोगों की मंजूरी दी :–

| | | ₹ (लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | जोखिम निधि | ₹ 122.00 |
| 2. | अधिशेष | ₹ 925.74 |

इन निधियों का उपयोग वर्ष के दौरान निम्न प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जोखिम निधि | इस वर्ष के दौरान कोई उपयोग नहीं हुआ। |
| 2 | सूचना, शिक्षा एवं संचार निधि | ₹ 18.77 लाख |
| 3 | मृत्यु राहत एवं पुनर्वास निधि | वर्ष के दौरान कोई उपयोग नहीं हुआ |
| 4 | संवर्धन एवं विकास निधि (स्वयं सहायता समूह विकास) | वर्ष के दौरान कोई उपयोग नहीं हुआ |

## लेखा परीक्षा

राष्ट्रीय महिला कोष के नियम और विनियम 22 (IV) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा कोष के लिए लेखा परीक्षक नामित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 में लेखों की लेखा–परीक्षा के लिए मेसर्स डी आर डी एंड कं. को लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में लेखा परीक्षक एवं तुलन–पत्र के साथ–साथ आय–व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों को भी संलग्न किया गया है।

# लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

**सदस्य गण,**
**राष्ट्रीय महिला कोष**
**नई दिल्ली –110001**

हमने राष्ट्रीय महिला कोष के 31 मार्च, 2012 तक के संलग्न तुलन –पत्र और इसी के साथ संलग्न उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखे की लेखा–परीक्षा की है। वित्तीय विवरण का उत्तरदायित्व शासी बोर्ड का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की। इन मानको में यह आवश्यक है कि हम इस तर्क पूर्ण आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा की योजना बनाए तथा उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त हैं, किसी लेखा–परीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा दिए गए तथ्यों का समर्थन कर रहे प्रमाण की जांच करना शामिल होता है, किसी लेखा–परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा किए गए विशिष्ट अनुमानों का आकलन और साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का आंकलन भी शामिल होता है। हम यह मानते हैं कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे मत के लिए एक तर्कपूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे मत एवं सर्वोत्तम सूचना एवं प्रदान की गई जानकारियों के आधार पर वित्तीय विवरण हमें लेखांकन सिद्धांतों का एक सत्य एवं वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है जो कि भारत में मान्य है :–

**1. <u>वसूल न होने वाले तथा संदिग्ध कर्जो के लिए प्रावधानः</u>**

₹ 71.17 करोड़ ( ₹ 68.87 करोड़) के पूर्ण कर्जों में से ₹ 23.24 करोड़ ( ₹ 19.18 करोड़ ) के कुल कजों में से बाकाया वर्ग में आते हैं तथा खातों बही में इनको अलग से नहीं दर्शाया जाता। इस वसूली रकम में से ₹ 13.24 करोड़ ( ₹12.16 करोड़ ) की रकम पिछले तीन साल से अधिक समय से अतिदेय है, ₹ 1.66 करोड़( ₹1.71करोड़) की रकम दो साल से अधिक परन्तु तीन साल से कम अवधि से अतिदेय है। ₹ 2.86 करोड़ ( ₹ 1.99करोड़) एक साल से अधिक परंतु दो साल से कम अवधि से अतिदेय है। इसी तरह से ₹ 5.48 करोड़( ₹ 3.32 करोड़) की रकम एक साल से कम समय से अतिदेय है।

**<u>नोट :– कोष्ठक में डाले गए आंकड़े साल 2010–11 से संबंधित है।</u>**

चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक की 'आस्ति वर्गीकरण' के कार्यात्मक मानदंड राष्ट्रीय महिला कोष पर लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष के पास इन ऋणों का मानक, अवमानक, संदेहास्पद और हानि (क्षति) के रूप में मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं है। राष्ट्रीय महिला कोष सभी ऋणों को मानक ऋण की तरह मान रहा है, अतः उसने भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के तहत अवमानक, संदेहास्पद और हानि (क्षति) की श्रेणी के ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इस प्रकार आय–व्यय खाता सहीं तस्वीर नहीं दर्शाता। फिर भी राष्ट्रीय महिला कोष ने अपने ऋण खातों में त्रुटि की पहचान कर ली है तथा हर वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण त्रुटि राशि के बराबर जोखिम निधि में प्रावधान किया है।

2. कर्मचारी तथा गैर सरकारी संगठनों को दिए गए अग्रिम राशि जो ₹ 28.67 लाख हैं उसमें से ₹ 12.14 लाख पाँच साल से ज्यादा बकाया है। अधिकतर राशि या तो समायोजित की जानी है अथवा बट्टे खाते में डालना है। राष्ट्रीय महिला कोष को सलाह दी जाती है कि वह इस राशि को समायोजित अथवा बट्टे खाते में डालने के लिए प्रयत्न करे क्योंकि यह अग्रिम राशि काफी समय से लम्बित है।

**3.** वर्ष 1999–2000 में मुख्य 'चालू देयताओं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 9.50 लाख नाबार्ड से सहायता अनुदान तथा ₹ 18.10 लाख ग्रामीण स्वच्छता सहायता अनुदान के तहत मिली थी। वह राशि समायोजित करने के लिए लम्बित है। राष्ट्रीय महिला कोष को सलाह दी जाती है कि वह राशि को समायोजित करे अन्यथा बट्टे खाते में डाल दे, क्योंकि ये देयतायें काफी समय से लम्बित है।

**4.** ऊपर कहे गए कथन का प्रभाव कोष के आय और व्यय पर पड़ने से इसके वित्तीय विवरण, महत्वपूर्ण वित्तीय पद्धति और दूसरी टिप्पणियों के साथ पढ़ने से यह सूचना देती है जो कानूनन मान्य है और वित्तीय आदर्शों का एक सत्य और वास्तविक स्वरूप है जोकि भारत में मान्य है :–

**(क)** 31 मार्च 2012 की राष्ट्रीय महिला कोष से संबंधित वर्णन, आय–व्यय के चिट्ठे में।

**(ख)** वर्ष के अंतिम दिन तक की आय, आय–व्यय के खाते में।

**(ग)** वर्ष के अंतिम दिन तक की प्राप्तियाँ और भुगतान, प्राप्तियाँ और भुगतान खाते में।

**डी आर ए एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**

**स्थान :– नई दिल्ली** **(राहुल जैन)**
**तिथि :–** **साझेदार**
**सदस्यता संख्या :099134**